Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 03-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. ''भारतीय संविधान की प्रस्तावना दंतविहीन बाघ के समान है।'' इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
(250 शब्द, 15 अंक)

"Preamble of the Constitution in like a toothless tiger." Critically assess this statement.
(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु-

- भूमिका में प्रस्तावना का संक्षेप में परिचय दें।
- प्रथम पैराग्राफ में कथन से सहमति दर्शाते हुए तथ्यों को लिखिए।
- दूसरे पैराग्राफ में कथन से असहमति जताते हुए प्रस्तावना के महत्व को बताइए कि यह दंतविहीन बाघ नहीं है।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- **प्रथम पैराग्राफ-**

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आलोचक इसलिए दंतविहीन बाघ की संज्ञा देते है, क्योंकि यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय है अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। प्रस्तावना के प्रावधानों के हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते है।
- प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव दृष्टिगत होता है, क्योंकि इसकी धारणा और इसकी विषयवस्तु अन्य देशों से आयातित है। जैसे- इसकी धारणा अमेरिका से तथा विषयवस्तु आस्ट्रेलिया से।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता विद्यमान है।

द्वितीय पैराग्राफ-

- यद्यपि यह सही है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, किन्तु विद्वानों का मानना है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इससे ही संविधान के निर्वाचन या व्याख्या में सहायता मिलती है।
- प्रस्तावना में शामिल प्रावधानों की झलक हमें अनुच्छेदों में प्राप्त होती है, जैसे- प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे तत्व संविधान के मौलिक अधिकारों नीति-निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य के अनुच्छेदों में परिलक्षित होते है।
- ठाकुर दास भार्गव के अनुसार, ''प्रस्तावना, संविधान की आत्मा है, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार प्रस्तावना एवं उसके आदर्शों के बिना संविधान व उसकी संस्थायें निरर्थक हो जाती है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म, विश्वास एवं उपासना आदि की स्वतंत्रता दी गई है, जिसकी छाया हमें मौलिक अधिकारों के धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में उपस्थित है, जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वाधीनता आंदोलन की आदर्शों एवं महत्व को संजोये हुए है।

* * *